(1)

Sl No. 189

फाईल संख्या–16034/70/2013–रा0भा0(नीति)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

एनडीसीसी-II भवन, जयसिंह रोड,

"बी" विंग,चौथी मंज़िल,नई दिल्ली-110001,

दिनांक 19.09.2013

सेवा में,

श्री विकास कुमार

ग्राम–पोस्ट रजासन(पकौली)

थाना वो अंचल--निदुपुर

जिला–वैशाली, बिहार--844102

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना–प्रथम अपील |

महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांक 21.06.2013, 08.07.2013 (जो कि इस विभाग में 22.8.2013 को प्राप्त हुआ) का संदर्भ लें | आपके द्वारा की गई प्रथम अपील भी इस विभाग में 22-08-2013 को ही प्राप्त हुई | जबकि आपके द्वारा मांगी गई सूचना नहीं मिली | अत: आपके द्वारा मांगी गई सूचना निम्नलिखित प्रकार से है :--

प्रश्न सं0–1: कार्यालय/संस्थान जिनका दैनिक कार्य अंग्रेजी/हिंदी में होता है का बटवारा राजभाषा अधिनियम 1963 के तहत होता है (कौपी संलग्न) |

प्रश्न सं0–2: इसकी सूचना अधोहस्ताक्षी से संबंधित नहीं है | आपका अनुरोध CPIO प्रधानमंत्री कार्यालय को स्थानांतरित किया जाता है |

प्रश्न सं0–3: इसकी सूचना भी अधोहस्ताक्षरी के पास नहीं है | इसे कृपया CPIO आई एस-1 विभाग, गृह मंत्रालय को स्थानांतरित किया जाता है |

प्रश्न सं0–4: अनुच्छेद 351 के अनुसार हिन्दी भाषा के विकास के लिए यह निर्देश है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे जिससे वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी में और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रुप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहॉ उसके शब्द–भण्डार के लिए मुख्यत: संस्कृत से और गौणत: अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करें | विस्तृत जानकारी प्रश्न संख्या--1 में दी गई है |

प्राप्ति – दिनांक 9/10/13.
(3) में निदेशक (आई.एस.-I) को अंतरण करें।

RTI-189/Div(IS-I)/13
1/10/13

भवदीय,

(भोपाल सिंह)

निदेशक एवं केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी

प्रतिलिपि सूचनार्थ :

1 श्री एस.सामन्ता, अवर सचिव,आरटीआई सैक्शन, गृह मंत्रालय,नार्थ ब्लाक,नई दिल्ली को उनके पत्र सं0 ए–43020/10/2013–आरटीआई दिनांक 12.08.2013,14.8.13 एवं 21.8.13 के संदर्भ में प्रेषित।

2 CPIO प्रधान मंत्री कार्यालय, साउथ ब्लाक, नई दिल्ली, गृह मंत्रालय के पत्र संख्या ए–43020/10/2013-आरटीआई दिनांक 21-08-2013 के संदर्भ में ।

3 CPIO, आई एस--1 विभाग, गृह मंत्रालय, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली को श्री विकास कुमार, की आरटीआई के प्रतिवेदन दिनांक 21-08-2013 के संदर्भ में ।

(भोपाल सिंह)
निदेशक(नीति)

(3)

आर टी आई मामला/तत्काल

सं. ए-43020/01/2013-आर टी आई

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

****

नई दिल्ली, दिनांक : [illegible] /06/ 2013

कार्यालय ज्ञापन

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत श्री/श्रीमती/सुश्री ....[illegible]....... का आवेदन,

****

अधोहस्ताक्षरी को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना मुहैया कराने के संबंध में श्री/श्रीमती/सुश्री विकास कुमार के दिनांक 21 / 06 /2013 के आवेदन (इस मंत्रालय में [illegible] कार्यालय से अंतरण द्वारा दिनांक 16 / 06 /2013 को प्राप्त) को राजभाषा विभाग प्रभाग को अग्रेषित करने का निदेश हुआ है, क्योंकि मांगी गई सूचना उक्त प्रभाग के क्रियाकलापों से संबंधित है/निकट रूप से संबंध रखती है। यह अनुरोध किया जाता है कि यदि विषय-वस्तु का संबंध किसी अन्य केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से है, तो आवेदक को सूचित करते हुए आवेदन को सीधे उस प्राधिकारी को अग्रेषित/अंतरित कर दिया जाये।

2. आवेदक ने 10/- रु. का निर्धारित शुल्क दिनांक....../....../2013 की रसीद सं.....................के तहत जमा कर दिया है (संलग्न)/ नहीं किया है क्योंकि वह बी पी एल श्रेणी से संबंध रखता/रखती है।

[signature] 26/6/13

[signature]
(एस. सामन्त)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में

श्री एम. के. मल्होत्रा
निदेशक (प्रशासन/हिन्दी)
राजभाषा विभाग
एन.डी.सी.सी.-II, जयसिंह रोड, नई दिल्ली-

प्रति सूचनार्थ प्रेषित :

श्री/श्रीमती/सुश्री विकास कुमार
ग्राम व पोस्ट - रजासन (पकड़ी)
थाना - कोतवाली - मिदुपुर
जिला - वैशाली (बिहार) पिन - 844 102

(उनसे अनुरोध है कि इस मामले में अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने के लिए उपरवर्णित केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से संपर्क करें।)

प्रार्थना पत्र दिनांक 29.06.2009

सेवा में,
लोक सूचना एवं अधिकारी महोदय,
ग्राम स्वराज्य कार्यालय, ई-दिल्ली।

विषय - 15 अगस्त 1976 के बाद देश में हुए जातीय एवं साम्प्रदायिक दंगों के सम्बन्ध में।

महोदय,
उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में आदेश ज्ञात करना चाहता हूँ कि भारत के विभिन्न राज्यों के प्रशासन में कहाँ-कहाँ दंगे हुए तथा इस विषय सम्बन्धित राज्यों में किस दल की सरकार थी।

अतः श्रीमान से अनुरोध है कि वांछित सूचना उपलब्ध कराने की कृपा करें।

आपका विश्वासपात्र
विकास कुमार
29.06.2009
ग्राम पो. - [illegible]
थाना - [illegible]
जिला - भिवानी, [illegible]
मो. - [illegible]

संलग्न पोस्टल ऑर्डर जिसकी संख्या ०९८६८२ है।

हस्ताक्षर
विकास कुमार
6-7-09

Reply of Sl No. 189

RTI MATTER

No.II/20034/20/2013-(IS-II)(Pt.)
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(IS-I DIVISION)

New Delhi, Dated 10 October, 2013

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Information sought under the RTI Act, 2005 by Shri Vikas Kumar.

Please find enclosed an RTI application dated 19.9.2013 alongwith its enclosures, received by the undersigned on 9.10.2013 on transfer from Official Language Department (Policy). NDCC-II Bldg., MHA.

2. As far as IS-II Section of IS-I Division is concerned, the application does not relate to this Division.

3. However, the RTI application is transferred to Director (IS-II). MHA under section 6(3) of RTI Act, 2005 with the request to furnish the information to applicant directly.

(Rakesh Mittal)
Director (IS-I) & CPIO
Tel.23092132

o/c

IS-II
10 OCT 2013

Shri R.K. Suman
Director (IS-II)
Ministry of Home Affairs
North Block, New Delhi

Copy to:

1. Shri Vikas Kumar, Vill. & Post – Rajasan (Pakoli), Police Station – V Anchal – Nidupur, Distt.- Vaishali, Bihar - 844102.
2. Shri Bhopal Singh, Director & CPIO, Official Language (Policy) NDCC-II Bldg, Jai Singh Road, MHA w.r.t. your Letter No.16034/70/2013- Official Language (Policy) dated 19.9.2013 for information.